SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

पारिवारिक न्यायालय, टोंक के एक प्रकरण में पति व पत्नी पिछले 6 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। विवाद के दौरान उनके दोनों बच्चें माता के पास रह रहे थे। पति की ओर से दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना हेतु 2018 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

दिनांक 13.07.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सुनवाई करते हुए पारिवारिक न्यायालय लोक अदालत बैंच के अध्यक्ष की उपस्थिति में पति व पत्नी के बीच में समझाईश की गई एवं राजीनामें के प्रयास किए गए जिसमें बैंच की समझाईश पर दिनांक 13.07.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालतकी भावना से दोनों पति पत्नी ने साथ रहना स्वीकार किया तथा दोनों साथ खुशी–खुशी बच्चों के साथ घर लौटे एवं उन्होनें अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी–खुशी जीवन यापन करने की कसम खाई।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

दिनांक 05.09.2018 को प्रार्थी ने अपनी पत्नी जो कि पेशे से डॉक्टर थी,के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 (1)(1क) हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद हेतु याचिका पारिवारिक न्यायालय में पेश की थी। दोनों के 3.5 वर्ष की एक बालिका भी है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी पत्नी ने न्यायालय द्वारा समझाईश व विवाह विच्छेद को रोकने हेतु साथ रहने का निर्णय लिया।

दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंच के अध्यक्ष व सदस्य की समझाईश के आधार पर पति–पत्नी आपस में साथ रहने को राजी हुए एवं प्रार्थिया ने अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13(1)(1क) हिन्दु विवाह अधिनियम राजीनामा के तहत वापस ले लिया।

इस प्रकार दिनांक 13.07.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण हुआ एवं परिवार को टूटने से बचाया गया तथा पक्षकारों के मध्य आपसी रिश्ते पुनः कायम हुए। प्रकरण के निस्तारण होने से उनकी 3.5 वर्ष की नन्ही बालिका को पुनः माता व पिता दोनों का प्रेम व स्नेह मिलेगा।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

60 वर्ष पूर्व मकान मालिकिन ने मकान एवं बाड़ा विक्रय कर खरीददार को कब्जा संभलाया, जिस पर खरीददार के वारिसान काबिज थे परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त मकान एवं भूखण्ड की एक स्टाम्प तहरीर अन्य प्रतिवादी के पक्ष में की गई जिससे प्रतिवादी उक्त भूखण्ड एवं मकान पर कब्जा करने हेतु आमादा होने लगा। जबकि प्रतिवादी को उक्त मकान एवं बाड़ा विक्रय करने का अधिकार नहीं था।

इस पर वादी द्वारा 25 वर्ष पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 11.01.1994 को दर्ज कराया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 23.05.2002 को किया गया। प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु माननीय अपीलीय न्यायालय से दिनांक 30.09. 2016 को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज किया जाकर प्रकरण में निस्तारण हेतु त्वरित गति अमल में लायी गयी।

पीठासीन अधिकारी माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्री–काउंसलिंग करते हुए उभर पक्षों के मध्य राजीनामा हेतु समझाईश की गई एवं साथ ही उन्हें लोक अदालत के माध्यम से होने वाले राजीनामा के लाभों, राजीनामा से होने वाले फैसले के प्रभाव एवं अन्तिम न्याय निर्णय के बारे में बताया तथा अपीलीय न्यायालय में धन, समय की बचत आदि के बारे में बताया। जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारान द्वारा आपसी वैमनस्य समाप्त कर संयुक्त रूप से दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से पृथक से लिखित में राजीनामा पेश किया एवं उक्त प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2019 को निस्तारण किया गया।

इस प्रकार दिनांक 13.07.2019 को लम्बित दीवानी प्रकरण में 60 वर्ष पूर्व क्रय की गई भूमि के 25 साल पुराने प्रकरण का निस्तारण आपसी समझाईश/राजीनामें के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से किया गया एवं पक्षकारान द्वारा आपसी मनमुटाव भुलाकर आपस में गले मिलकर खुशी–खुशी न्यायालय से अपने घर गए।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

प्रार्थी एवं अप्रार्थी का विवाह दिनांक 12.03.2001 को हुआ था एवं इनके तीन सन्तानें पैदा हुई। पति द्वारा पत्नी को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सन् 2015 में उसे घर से निकाल दिया गया, तब से दोनों पति–पत्नी अलग रह रहे थे।

प्रार्थीया द्वारा सन् 2018 में अप्रार्थी के विरूद्ध चौमू न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर जिला में अपराध अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह प्रकरण पेश किया गया।

दिनांक 09.01.2009 को उक्त प्रकरण के पक्षकारान को राजीनामा हेतु समझाईश की गई एवं प्रकरण को राजीनामा हेतु मध्यस्थता केन्द्र को दिनांक 30.01.2009 की सुनवाई हेतु भेजा गया, किन्तु मध्यस्थता केन्द्र में राजीनामा न हो पाने के कारण प्रकरण पुनः न्यायालय में प्राप्त हुआ।

इसके पश्चात् दिनांक 13.07.2019 को प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवाने हेतु समझाईश की गई। काफी समझाईश के पश्चात् दोनों पक्षकारान ने राजीनामा करना स्वीकार करते हुए एक साथ रहने की इच्छा जाहिर की। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौमू जिला जयपुर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2019 के सदस्य व अधिवक्तागण एवं अन्य अधिवक्तागण व आम जनता की उपस्थिति में दोनों पति–पत्नी ने साथ रहने हेतु सहमति दी।

इस प्रकार दिनांक 13.07.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से दोनों पति–पत्नी साथ में रहने को सहमत हुए। पति व पत्नी को आपस में माला पहनवाकर स्वागत किया। पति–पत्नी ने बैंच के समक्ष भविष्य में साथ रहने की शपथ लेकर खुशी जाहिर करते हुए एक साथ अपने घर के लिए रवाना हुए। राजीनामें के बाद तीनों बच्चों को भी माँ के साथ पिता का भी प्यार मिल सकेगा।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

दिनांक 28.02.1989 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दुकान खाली कराये जाने एवं किराया वसूली बाबत् मूल दीवानी वाद संख्या 61/89 प्रस्तुत किया गया था।

वाद में पारित आदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय तक दोनों पक्षकारान द्वारा चुनौती दी गई। दौराने दावा वादिया की मृत्यु हो गई।

उपरोक्त प्रकरण में वादिया के पुत्र पूर्व से ही पक्षकार थे, न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा बाबत् कई बार वार्ता करवायी गयी।

पीठासीन अधिकारी, जयपुर महानगर द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा संभव हुआ और मुकदमें का राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

इस प्रकार दिनांक 13.07.2019 को **30 साल पुराने दुकान खाली कराने व किराया दिलाने के विवाद का** राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से **निस्तारण हुआ**।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13-07-2019

दिनांक 02.03.1970 को वादी ने अपने भाई व पिता के विरूद्ध भरतपुर स्थित एक कोठडी के संबंध में अपने हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत् एक दावा भरतपुर के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बाद मे वादी ने उक्त संपति के सामलाती चौक व निकास के संबंध में अपने हकों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत् एक अन्य दूसरा प्रस्तुत किया था। 17 साल की लम्बी लड़ाई के बाद दिनांक 09.02.1987 को वादी के उक्त दोनों दावें न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए। जिनके विरूद्ध वादी ने जिला न्यायालय, भरतपुर में दो पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की जो अन्तरित होकर अपर जिला जज संख्या–2, भरतपुर के न्यायालय में प्राप्त हुई। उक्त दोनों अपीलें दिनांक 25.05.2006 को स्वीकार की जाकर निचले न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.1987 को निरस्त करते हुए दोनों दावें इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किए गए कि अधीनस्थ न्यायालय दोनों दावों की पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करे।

प्रतिवादी की ओर से अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध दो अपीलें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पेश की। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों ही अपीलें अस्वीकार कर खारिज कर दी गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में दोनों दावों की पुनः सुनवाई प्रारम्भ हुई।

सुनवाई के दौरान वादी व प्रतिवादी पक्ष में से कुछ प्रतिवादीगण का देहान्त हो गया और इन सभी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के अध्यक्ष व सदस्य व पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा पक्षकारान की समझाईश की गई और राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों ने विवादित सम्पत्ति के संबंध में राजीनामा किया।

इस प्रकार दिनांक 13.07.2019 को **49 साल पुराने विवाद का** राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से **निस्तारण हुआ** और पक्षकारों के मध्य आपसी रिश्ते पुनः कायम हुए।